

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, रायपुर (छ.ग.)
अधिसूचना धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

क./ /वा0- /भू-अर्जन/2018

रायपुर दिनांक/01/2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16-अ/82 वर्ष 2016-17 ग्राम-सोनपैरी चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

// अनुसूची //

भूमि का विवरण					धारा 19 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
रायपुर	आरंग	सोनपैरी	384/1	0.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 रायपुर	छत्तौना, दरबा, कुटेसर, बडगांव, कुण्डा-नारा -लखौली मार्ग चौड़ीकरण
			380	0.02		
			378	0.02		
			376/2	0.01		
			375	0.04		
			369/1	0.04		
			369/2	0.06		
			376/1	0.01		
योग :-			08	0.26 हे०		

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ओ०पी० चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, रायपुर (छ.ग.)

पृ० क./ /वा0- /भू-अर्जन/2018

रायपुर दिनांक/01/2018

प्रतिलिपि :-

10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
11. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्राणालय छत्तीसगढ़, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
12. आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन सूचना पटल में कराया जाकर उसकी एक प्रति भेजने की व्यवस्था करेंगे।

13. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग क्रमांक 1 रायपुर को सूचनार्थ, अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र, सूचना पटल में कराया जाकर उसकी एक-एक प्रति भेजने की व्यवस्था करें साथ ही समुचित सरकार की वेब साईट पर भी अपलोड करेंगे।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन सूचना पटल में कराया जाकर उसकी एक प्रति भेजने की व्यवस्था करेंगे।
15. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. रायपुर को सूचनार्थ। वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
17. तहसीलदार, आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित अधिसूचना का प्रकाशन अनुविभागीय कार्यालय एवं नगर पालिका, संबंधित ग्राम पंचायत/प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति जैसे मुनादी कराने/जो विहित हो सूचना दिया जाकर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।
18. सचिव, ग्राम पंचायत सोनपैरी तहसील आरंग को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने हेतु सूचनार्थ।

(ओ०पी० चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, रायपुर (छ.ग.)